

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया/ कैमूर(भभुआ)/जहानाबाद/कटिहार/किशनगंज/नवादा/मधुबनी/मुंगेर/मुजफ्फरपुर/
नालन्दा(बिहारशरीफ)/पटना/पूर्णियाँ/सासाराम(रोहतास)/सारण(छपरा)/सहरसा/शेखपुरा/
शिवहर/सीवान/समस्तीपुर/सीतामढ़ी/सुपौल/वैशाली(हाजीपुर)/पश्चिमी चम्पारण(बेतिया)।

पटना, दिनांक :-

27-3-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का
पुनर्वास-मौंग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120201) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-S-11012/05/2001- BL(Vol. II) दिनांक-14.10.16 के संदर्भ में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की राशि ₹ 179.20 लाख मात्र के विरुद्ध तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त ₹ 59.20 लाख मात्र केन्द्रांश की राशि को संशोधित विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1175 दिनांक-27.03.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त, कुल 592 बंधुआ मजदूरों के लिए विषय शीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवा (28 01) से प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र की दर से संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

3. यह आवंटन कुल ₹ 59,20,000/- (₹ उनसठ लाख बीस हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक- 423/वि० दिनांक-31.3.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016, पत्रांक-357/वि० दिनांक-10.03.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. यह आवंटित केन्द्रांश की राशि विपत्र कोड-पी० 2230011120101 एवं पी० 2230017890102 से क्रमशः सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध आवंटित की गयी है।

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

6. आवंटित केन्द्रांश की राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त वैध बंधुआ मजदूरों को ही उपलब्ध कराया जाय जिन्हें संबंधित वर्ष में राज्यांश की राशि प्रदान की जा चुकी है।

7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित वाद संख्या-1362/30/2006-07/एफ.सी. एवं अन्य तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत परिवारियों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की राशि का भुगतान किया जाय ।

8. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

9. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

27-3-17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

187

पटना, दिनांक

27-3-17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27-3-17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0

187

पटना, दिनांक

27-3-17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित श्रम अधीक्षक/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01/ (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.-94(श्रमपक्ष) दिनांक-27.03.17 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इसका व्यय 31 मार्च 2017 तक सुनिश्चित करायेगें।

3. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01)द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

187

पटना, दिनांक

27-3-17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या-1175 दिनांक-27.03.2017 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120201) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध 10000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित केन्द्रांश की राशि का समेकित आवंटन की विवरणी:-

क्र. सं.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में एवं NHRC वार्दों तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 से संबंधित विमुक्त बंधुआ मजदूरों की संख्या	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01) से पूर्व में सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध 10000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित केन्द्रांश की राशि
1	2	3	4
1	गया	146	1460000
2	कैमूर (भभुआ)	4	40000
3	जहानाबाद	27	270000
4	कटिहार	25	250000
5	किशनगंज	65	650000
6	नवादा	58	580000
7	मधुबनी	11	110000
8	मुंगेर	1	10000
9	मुजफ्फरपुर	42	420000
10	नालंदा	33	330000
11	पटना	14	140000
12	पूर्णियाँ	2	20000
13	सासाराम	9	90000
14	सारण (छपरा)	2	20000
15	सहरसा	1	10000
16	शेखपुरा	4	40000
17	शिवहर	1	10000
18	सीवान	1	10000
19	समस्तीपुर	92	920000
20	सीतामढ़ी	25	250000
21	सुपौल	1	10000
22	वैशाली	24	240000
23	प. चंपारण	4	40000
	कुल योग	592	5920000

कुल आवंटित राशि ₹ 59,20,000/- (₹ उनसठ लाख बीस हजार) मात्र ।



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।